

प्रेसनोट दिनांक 07.02.2021

- दिनांक 06.02.21 को वादी श्री राम सुमिरन पुत्र बेचूराम नि० अमौना पूरे सूबेदार थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 51 एटी 3789 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मोटर साइकिल में टक्कर मार देना, जिससे चालक रमेश सोनी व वादी के भाई को गम्भीर चोटें आना, इलाज के दौरान वादी के भाई की मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 51/21 धारा 279, 337, 338, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 06.02.21 को वादी उ०नि० श्री संदीप त्रिपाठी थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अनिल निषाद पुत्र राम लाल निषाद नि० 2/14/29 तारापुर रजौली थाना कैण्ट अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 54/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 06.02.21 को वादी उ०नि० श्री वीरेन्द्र कुमार थानाध्यक्ष महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. महेश वर्मा पुत्र सरदार वर्मा नि० दहलवा मजरे अमसिन थाना गोसाईगंज अयोध्या 2. महेश कुमार निषाद पुत्र राम कुमार निषाद 3 अर्जुन निषाद उर्फ सुनील निषाद पुत्र झिनकान निषाद नि०गण मूड़ाडीहा थाना महाराजगंज अयोध्या सभी जेल में अभि०गण द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर अपने साथियों के आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित करना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 34/21 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 06.02.21 को वादी उ०नि० श्री अश्वनी प्रताप सिंह थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विशाल कोरी पुत्र मोहन लाल कोरी नि० दुल्लापुर थाना महाराजगंज अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 35/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 06.02.21 को वादी श्री लवकुश वर्मा क्षेत्रीय लेखपाल फतेहपुर सरैया अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुनील पुत्र वंशराज नि० फिरोजपुर उपरहार थाना रौनाही अयोध्या आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा बंजर जमीन पर अवैध रूप से कब्जाकर खेती करना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 57/21 धारा 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 06.02.21 को वादी श्री राजा अंकित सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह नि० खिदिदरपुर थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि संजय पुत्र रामचरन नि० खिदिदरपुर थाना को०बीकापुर अयोध्या आदि 03 नफर अभि०गण द्वारा वादी को मारना पीटना व दांत से काट लेना जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 59/21 धारा 323, 324, भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 06.02.21 को वादी उ०नि० श्री पंकज कुमार थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिवमंगल पुत्र बरखू नि० बछरामपुर थाना को०बीकापुर अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 60/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 06.02.21 को वादी श्री रतन कुमार शर्मा थानाध्यक्ष हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. संजय वर्मा पुत्र नकई वर्मा 2. रवि वर्मा पुत्र दान बहादुर 3. गोलू उर्फ ऋषि पुत्र लोकराज वर्मा 4. मोहित वर्मा पुत्र संजय वर्मा 5. दान बहादुर पुत्र श्रीदत्त 6. मनीराम वर्मा पुत्र भोलानाथ वर्मा 7. रोहित वर्मा पुत्र संजय वर्मा नि०गण कटौना थाना हैदरगंज अयोध्या 8. डबलू उर्फ विद्याधर उपाध्याय पुत्र घनश्याम नि० पाण्डेय का पुरवा खपराडीह थाना हैदरगंज सभी जेल में अभि०गण द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर अपने साथियों के आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु अपहरण कर हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित करना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 32/21 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 06.02.21 को वादी श्री अनिल कुमार पुत्र राम शंकर दूबे नि० गंगा दूबे का पुरवा थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 एबी 6350 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मोटर साइकिल में टक्कर मार देना जिससे वादी के पुत्र

सूरज को गम्भीर चोटे आना व मोटर साइकिल क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 50/21 धारा 279, 337, 338, 427 भदवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

10. दिनांक 06.02.21 को वादी उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि उत्तरी पुत्र सियाराम नि0 नयापुरवा नरौली थाना मवई अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु0अ0सं0 29/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 06.02.21 को वादी उ0नि0 श्री राम खेलाड़ी थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि गंगाराम पुत्र स्व0 राम सुफल नि0 जरायल कला थाना पटरंगा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 22/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।